प्रेस नोट

चार पहिया साइकिल के लिए नवीन श्रेणी शामिल किए जाने हेतु केंद्रीय मोटर यान नियमावली में संशोधन

आज दिनांक 22 मई, 2013 को श्री विजय छिब्बर, सचिव (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें देश में निर्मित और पंजीकृत की जाने वाली एक चार पहिया साइकिल के वाहन को एक अतिरिक्त श्रेणी के रूप में शामिल किए जाने के लिए केंद्रीय मोटर यान नियमावली में संशोधन किए जाने के मुद्दे पर विचार किया गया । इस बैठक में भारी उद्योग मंत्रालय, एआरएआई और आईसीएटी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय मौटर यान नियमावली अथवा यूरोपियन यूनियन (ईयू) क्वाड्रिसाइकिल में से जो भी अधिक उपयुक्त हो, उसमें थ्री-व्हीलर श्रेणी (एल-5) में अधिसूचित वर्तमान मानदडों की विशिष्टियों को अपनाते हुए चार पहिया साइकिल को शामिल करने के लिए एक पृथक श्रेणी की अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव किया जाए । भविष्य में यूरोपियन यूनियन द्वार चार पहिया साइकिल के लिए समय-समय पर यथा अधिसूचित संशोधित मानदंडों को, संशोधित यूरोपियन यूनियन मानदंडों के कार्यान्वयन की तारीख से छः माह के लिए उचित सावधानी के साथ लागू किया जाएगा ।

ये वाहन थ्री-व्हीलर की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होंगे क्योंकि ये कठोर छत और दरवाजों वाली बाडी के चार पहिया वाहन होंगे । यह भी निर्णय लिया गया कि वाहन की इस श्रेणी की संस्तुति, केवल नगर-निगम सीमा में शहर के भीतर संचलन के लिए वाणिज्यिक परिवहन श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए की जाएगी । पहचान के लिए इन चार पहिया साइकिलों की बाडी पर 'क्यू' का चिह्न प्रमुखता से अंकित किया जाएगा । यह भी प्रस्ताव किया गया कि इन वाहनों को उचित पंजीकरण के पश्चात् केवल लाइसेंसधारी ड्राइवरों को ही चलाने की अनुमति दी जाएगी।

आशा है कि ये चार पहिया साइकिल इस समय देश के अधिकतर शहरी क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सड़क संपर्क उपलब्ध कराने वाले थ्री-व्हीलरों का एक काफी उन्नत रूप होगा ।